ब न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद संख्या 94/2021
धारा 144 दं0प्र0सं0

मसो0 रूकमनी देवी
—बनाम—
केदार राणा वगै0

तारिख	—: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :—	अभियुक्ति

आवेदिका मसो0 रूकमनी देवी पति स्व0 शंकर राणा साकिन निचितपुर के आवेदन के आलोक में धारा 144 दं0प्र0सं0 के तहत वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की माँग की गई एवं थाना प्रभारी, बरही से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है।

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहदी
01	595/2682	04 ए0 मधे 20 डी0	उ0—आवेदिका नीज द0—आवेदिका का मकान पू0— पक्का रोड प0— आवेदिका

प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रश्नगत भूमि मेरे हक व हिस्से की जमीन है। जिस पर द्वितीय पक्ष के द्वारा जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है। पूर्व मे भी इस जमीन पर वाद संख्या 37/21 धारा 144 दं0प्र0सं0 लागू किया गया था। अतः मेरे हिस्से की जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रोका जाये।

प्रथम पक्ष ने अपने कारण पृच्छा मे कहा है कि प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास खाते की जमीन है जिसका रोहण के नाम से पर्चा प्राप्त है। रोहन मिस्त्री की मृत्यु के बाद केदार राणा एवं शंकर राणा जमीन पर जोत आवाद करते आ रहे है और दोनों के बीच आपसी सहमती से जमीन का बंटवारा भी हो चुका है। परंतु द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के जोते जमीन पर दावा किया जा रहा है। अतः द्वितीय पक्ष को प्रश्नगत भूमि पर कार्य करने से रोका जाये। द्वितीय पक्ष द्वारा कोई कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है और न ही कोई कागजात दाखिल किया गया है।

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात की छायाप्रति दाखिल किया है। क्र. पर्चा 2. ऑनलाईन पंजी—II की प्रति 3. बंटवारानामा

प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल कागजात, कारणपृच्छा एवं विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात वाद की कर्रवाई इस शर्त के साथ समाप्त की जाती है कि उभय पक्ष शांति बनाये रखेगें।

लेखापित एवं संशोधित।

Nadia. 13/8/21
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

Nadia. 13/8/21
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.08 23:38:01 +05:30
Location: 192.168.101.22